न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 164/2018
दायर दिनांक :– 24.10.2018

अनवान

श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि फूलचन्द मीणा निवासी धुवॉला तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. भज्जाराम पिता किशना मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
2. दुर्गालाल पिता गणेश बलाई निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
3. बंशीलाल पिता चन्द्रा मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
4. बोदीराम पिता चन्द्रा मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
5. काशी पिता किशना मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 11.10.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला मे वादीया के सँयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी सं. 1361/1037 रकबा 5.00 बीघा भूमि स्थित है। इस भूमि के पश्चिम दिशा मे प्रतिवादी सं. 1 की भूमि है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है जो वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीया को उनके खाते एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसी आशय से पिछले वर्ष जुलाई माह मे प्रतिवादीगण ने वादीया की उक्त कृषि भूमि मे अवैधानिक रुप से प्रवेश कर करीब 10 बिस्वा भूमि को हॉककर अपने खेत मे मिला लिया और वादीया की करीब 10 बिस्वा भूमि पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया। वादीया ने प्रतिवादीगण को औलम्बा दिया तो प्रतिवादीगण ने वादीया से कहा कि आप अपने खेत की पत्थरगढी करवा लो जहाँ तक आपकी भूमि होगी मै कब्जा छोड देंगे। प्रतिवादीगण के कहे अनुसार वादीया ने दिनांक 16.06.2018 को अपने खेत की पत्थरगढी करवाई जिसका भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पर्चा मौका भी बनाया गया। जिसमे प्रतिवादीगण का वादीया की भूमि पर अवैधानिक रुप से कब्जा होना पाया गया। पत्थरगढी करवाने के बाद वादीया ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वह वादीया की भूमि पर से अपना अवैध कब्जा हटा लेवे तो प्रतिवादीगण ने वादीया की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पर से अपना कब्जा कटाने से साफ इंकार कर दिया इस प्रकार वाद हेतुक तबसे उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादपत्र मे वर्णित आराजी सं. 1361/1037 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर मौका पर्चा अनुसार 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जो को हटाकर वादीया की भूमि का कब्जा वादीया को संभलाये जाने की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित कराना फरमावे। तथा वाद भूमि का कब्जा संभलाये जाने प्रतिवादीगण वादीया के खाते एवं कब्जेकाश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण अवैधानिक रुप से किसी भी प्रकार से वादीया के कब्जेकाश्त मे हस्तक्षेप न करे न करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 526 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 16.06.2018 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 3 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी संतोष देवी पी. डब्ल्यु 1 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादी आ. न. 1361/1037 कुल किता 01 रकवा 05–00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 1361/1037 कुल किता 01 रकवा 05–00 बीघा कृषि भुमि वादी के नाम खातेदारी से दर्ज है। आ0 स0 1361/1037 कुल किता 01 रकवा 05–00 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादीगण ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

की खातेदारी भुमि खसरा नं. 1361/1037 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग कृषि भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1361/1037 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि फूलचन्द मीणा निवासी धुवॉला तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. भज्जाराम पिता किशना मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
2. दुर्गालाल पिता गणेश बलाई निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
3. बंशीलाल पिता चन्द्रा मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
4. बोदीराम पिता चन्द्रा मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
5. काशी पिता किशना मीणा निवासी धुवाला तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 164 / 2018

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अंजनी कुमार शर्मा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धुंवाला पटवार हल्का धुंवाला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1361 / 1037 कुल किता 01 रकबा 05–00 बीघा में से 0–10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.10.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner